



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 551 राँची, सोमवार,

2 नवम्बर, 2020 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

संकल्प

22 अक्टूबर, 2020

**विषय:-**राँची शहर में निर्माणाधीन चार मुख्य पथों के समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा संबंधित संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा को समाप्त करने/योजना के कार्यक्षेत्र को सीमित करने तथा इन योजनाओं को बन्द करने की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या--5/न.वि./वृ.श.परि.(पथों का समग्र विकास)-33/16-2630--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राँची शहर के कतिपय सघन आबादी वाले क्षेत्रों में पथों के चौड़ीकरण, जीर्णोद्धार एवं निर्माण के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को द्रुतगामी बनाने के उद्देश्य से चार मुख्य पथों के समग्र विकास हेतु मेसर्स मेकॉन लि० से DPR का निर्माण कराया गया था। इन योजनाओं के अन्तर्गत सड़क के किनारे Utility Duct एवं Storm Water Drain का निर्माण के अलावा भूमिगत बिजली सुविधा, फुटपाथ निर्माण, Rotary Improvement, Pedestrian Subway, Landscaping & Beautification इत्यादि कार्य कराना था। इन योजनाओं की निम्नवत् प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी:-

| क्र. | योजना का नाम                                                                | संकल्प            | स्वीकृत प्राक्कलित राशि (रु. में)                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ सं.-1, कुल लंबाई 2.55 कि० मी०)                   | 2195/<br>31.03.17 | 101.01 Cr. (53.80 Cr. निर्माण एवं 47.21 Cr. भूमि अधिग्रहण हेतु)   |
| 2    | बिरसा चौक से राजभवन भाया किशोरगंज (पथ सं.-2, कुल लंबाई 8.85 कि० मी०)        | 2194/<br>31.03.17 | 477.77 Cr. (169.11 Cr. निर्माण एवं 302.65 Cr. भूमि अधिग्रहण हेतु) |
| 3    | राजभवन से कांटाटोली चौक भाया सर्कुलर रोड (पथ सं.-3, कुल लंबाई 2.88 कि० मी०) | 1978/<br>23.03.17 | 633.88 Cr. (102.10 Cr. निर्माण एवं 531.78 Cr. भूमि अधिग्रहण हेतु) |
| 4    | राजभवन से बूँटी मोड़ भाया बरियातु रोड (पथ सं.-4, कुल लंबाई 7.45 कि० मी०)    | 1835/<br>18.03.17 | 586.46 Cr. (184.33 Cr. निर्माण एवं 402.13 Cr. भूमि अधिग्रहण हेतु) |

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा निविदा निष्पादित करते हुए संवेदकों के साथ निम्नवत् एकरारनामा किया गया है:-

| क्र.      | योजना का नाम                                                | एकरारनामा सं०/दिनांक                                         | संवेदक का नाम                                        | एकरारनामा राशि (रु० में)  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ सं.-1)                           | 215 (जुडको)/<br>14.10.2017<br>22.07.2019<br>(पूरक एकरारनामा) | मेसर्स मिनी एक्सेल<br>(ज्वाईंट वेंचर)                | 42.52 करोड़<br>5.61 करोड़ |
| 2         | बिरसा चौक से राजभवन भाया किशोरगंज (पथ सं.-2)                | 232 (जुडको)/<br>01.12.2017                                   | मेसर्स डी०आर०ए० -<br>अमर इन्फ्रा०<br>(ज्वाईंट वेंचर) | 162.25 करोड़              |
| 3<br>(3a) | राजभवन से कांटाटोली चौक भाया सर्कुलर रोड (पथ सं.-3)         | 248 (जुडको)/<br>24.01.2018                                   | मेसर्स अमर<br>इंफ्रास्ट्रक्चर लि०                    | 92.99 करोड़               |
| (3b)      | (पथ सं.-3) के अंतर्गत मौजूद पानी पाईपलाइन का शिफ्टिंग कार्य | 353(जुडको)/<br>30.10.2019                                    | मेसर्स शालवी<br>कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि०             | 4.55 करोड़                |
| 4         | राजभवन से बूँटी मोड़ भाया बरियातु रोड (पथ सं.-4)            | 313 (जुडको)/<br>06.03.2019                                   | मेसर्स राम कृपाल सिंह<br>कंस्ट्रक्सन प्रा० लि०       | 188.18 करोड़              |

4. मूल स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार रांची के निम्नांकित चार प्रमुख पथों के विकास कार्य हेतु निम्नांकित आकार में सरकारी एवं रैयती भूमि प्राप्त करने की आवश्यकता पायी गयी थी:-

| क्रम सं० | योजना का नाम                                        | आवश्यक भूमि का रकबा |             |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|          |                                                     | सरकारी              | रैयती       |
| 1        | एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ सं.-1)                   | 151.118 डि०         | 73.01 डि०   |
| 2        | बिरसा चौक से राजभवन भाया किशोरगंज (पथ सं.-2)        | 354 डि०             | 982 डि०     |
| 3        | राजभवन से कांटाटोली चौक भाया सर्कुलर रोड (पथ सं.-3) | 582.34 डि०          | 765.94 डि०  |
| 4        | राजभवन से बूँटी मोड़ भाया बरियातु रोड (पथ सं.-4)    | 663.42 डि०          | 1314.61 डि० |

5. उक्त परियोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु परियोजनाओं को ऊपर वर्णित सुविधाओं के साथ कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बड़े आकार में रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाना

आवश्यक होगा। इसके अलावा सड़क की चौड़ीकरण एवं परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के क्रम में शहर के सैंकड़ों वृक्षों का पातन होगा।

6. चूँकि उक्त भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई एवं उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अधिग्रहण क्षेत्र के आमजन के आवास एवं आजीविका के साथ राजधानी रांची के वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि एक लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आम जनता को जीवन जीने हेतु बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विकास कार्य संपन्न कराना होता है, ना कि बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित एवं वृक्षों की कटाई करते हुए विकास कार्य कराना। साथ ही उक्त परियोजनाओं हेतु व्यापक भूमि अधिग्रहण को लेकर आमजन में भी विरोध की भावना है।

7. उक्त वस्तुस्थिति के क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा योजना के अद्यतन प्रगति के आलोक में पथ संख्या-1 में केवल एयरपोर्ट से हिनू चौक तक बायें तरफ सड़क उन्नयन कार्य को सीमित करते हुए इस योजना के शेष हिस्से एवं अन्य उक्त तीन सड़क निर्माण योजना को जनहित में बन्द करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. उक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि० द्वारा इन परियोजनाओं हेतु संबंधित संवेदकों के साथ किए गए एकरारनामा के कंडिका संख्या-59.4 के प्रावधान "Notwithstanding the above, the Employer may terminate the contract for convenience." के अन्तर्गत Termination की कार्रवाई करते हुए संबंधित संवेदक द्वारा किए गए कार्य का भुगतान एकरारनामा के कंडिका संख्या-60.2 के निहित प्रावधान "If the contract is terminated at the Employer's convenience or because of a fundamental Breach of Contract by the Employer, the Engineer shall issue a certificate for the value of the work done, the cost of balance by the contractor and available at site, the reasonable cost of removal of Equipment, a repatriation of the contractor's personnel employed solely on the works, and the contractor's cost of protecting and securing the works and less advance payments received due in terms of the contract and less taxes due to be deducted at source as per applicable law." के अनुसार किया जायेगा।

9. उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् है:-

i. **एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ सं.-1, कुल लंबाई-2.55 कि० मी०)**

- अद्यतन भौतिक प्रगति: 25.8% (इस परियोजना में अबतक Chainage 0+000 से लेकर 1+320 मी० रोड के बायीं ओर कुल 1320 मी० में कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत Utility Duct एवं Storm Water Drain का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग में सतह नवीकरण का भी कार्य कराया गया है। एयरपोर्ट Authority के आवास क्षेत्र में मौजूद पुराने बाउण्ड्री वाल एवं अन्य संरचनाओं को पीछे शिफ्ट करने {नया निर्माण} का कार्य भी कराया गया है।)
- परियोजना में कराए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान राशि (रु० में): 9.90 करोड़
- Mobilization अग्रिम भुगतान राशि (रु० में): 0
- DPR निर्माण हेतु मेसर्स मेकॉन लि० को की गई भुगतान राशि (रु० में): 0.77 करोड़
- PMC सेवा हेतु M/s NCPE Ltd. तथा मेसर्स रोडिक लि० को की गई भुगतान राशि (रु० में): 0.04 करोड़ (M/s NCPE Ltd.) 0.08 करोड़ (M/s Rodic.)

ii. **बिरसा चौक से राजभवन भाया किशोरगंज (पथ सं.-2, कुल लंबाई 8.85 कि० मी०)**

- अद्यतन भौतिक प्रगति: लगभग 2.5% (संवेदक को कुल तीन पथांश {500m, 400m एवं 220m के} में कार्य कराने का Clearance निर्गत किया गया था, जिसमें अबतक कुल 523 मीटर की लंबाई में Utility Duct निर्माण या समेकित रूप से Utility Duct एवं Storm Water

Drain निर्माण कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग के लगभग 4.2 कि० मी० लंबे पथांश में सतह नवीकरण का भी कार्य कराया गया है।)

- परियोजना में कराए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान राशि (रु० में): 1.77 करोड़
- Mobilization अग्रिम भुगतान राशि (रु० में): 4.05 करोड़
- DPR निर्माण हेतु मेसर्स मेकॉन लि० को की गयी भुगतान राशि (रु० में): 2.43 करोड़
- PMC सेवा हेतु M/s NCPE Ltd. तथा मेसर्स रोडिक लि० को की गयी भुगतान राशि (रु० में): 0.16 करोड़ (M/s NCPE Ltd.)

iii. **राजभवन से कांटाटोली चौक भाया सर्कुलर रोड (पथ सं.-3, कुल लंबाई-2.88 कि० मी०)**

- भौतिक एवं वित्तीय प्रगति:-

| मद                                                           | सड़क निर्माण    | पानी पाईपलाइन शिफ्टिंग कार्य |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| अद्यतन भौतिक प्रगति:                                         | 1% से कम        | 0%                           |
| परियोजना में कराए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान राशि (रु० में): | 0.0009282 करोड़ | 0                            |
| Mobilization अग्रिम भुगतान राशि (रु० में):                   | 4.65 करोड़      | 0                            |

- DPR निर्माण हेतु मेसर्स मेकॉन लि० को की गयी भुगतान राशि (रु० में): 1.47 करोड़
- PMC सेवा हेतु M/s NCPE Ltd. तथा मेसर्स रोडिक लि० को की गई भुगतान राशि (रु० में): 0.09 करोड़ (M/s NCPE Ltd.)

iv. **राजभवन से बूटी मोड़ भाया बरियातु रोड (पथ सं.-4, कुल लंबाई-7.45 कि० मी०)**

- अद्यतन भौतिक प्रगति: 1% से कम (उक्त मार्ग के बाईं तरफ लगभग 2.5 कि० मी० लंबी पथांश में सतह नवीकरण का भी कार्य कराया गया है।)
- परियोजना में कराए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान राशि (रु० में): 0
- Mobilization अग्रिम भुगतान राशि (रु० में): 9.41 करोड़
- DPR निर्माण हेतु मेसर्स मेकॉन लि० को की गयी भुगतान राशि (रु० में): 2.65 करोड़
- PMC सेवा हेतु M/s NCPE Ltd. तथा मेसर्स रोडिक लि० को की गयी भुगतान राशि (रु० में): 0

10. **उक्त वस्तुस्थिति के क्रम में उक्त परियोजनाओं हेतु निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैं:-**

i. **पथ संख्या 1**

(क) सड़क के उन्नयन कार्य (मौजूदा चैड़ाई के अंदर ही) हेतु कार्यरत संवेदक के कार्य को एयरपोर्ट से हिनू चौक तक सीमित कर शेष योजना कार्य को बन्द करने तथा इस हद तक संवेदक के साथ एकरारनामा को समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) उक्त परियोजनागत आवश्यकतावश हिनू चौक से बिरसा चौक के बीच के पथांश में पानी पाईपलाइन शिफ्टिंग का कार्य मेसर्स ओम साई बिल्डटेक प्रा० लि० द्वारा कराया जा रहा है। सड़क उन्नयन कार्य एवं पाईपलाइन शिफ्टिंग कार्य के अद्यतन प्रगति के आलोक में एयरपोर्ट से हिनू चौक तक बायीं तरफ सड़क उन्नयन कार्य कराने तथा पाईपलाइन शिफ्टिंग कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जायेगी।

(ग) एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक मार्ग का प्रशासनिक नियंत्रण, रख रखाव तथा भविष्य के निर्माण कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड को लौटाने की कार्रवाई की जायेगी।

ii. **पथ संख्या 2**

(क) बिरसा चौक से राजभवन भाया किशोरगंज पथ के उन्नयन योजना को बन्द करने तथा संवेदक के साथ एकरारनामा को समाप्त करने एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रण, रख रखाव तथा भविष्य के निर्माण कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड को लौटाने की कार्रवाई की जायेगी।

iii. **पथ संख्या 3**

(क) राजभवन से कांटाटोली चौक भाया सर्कुलर रोड मार्ग के उन्नयन योजना को बन्द करने तथा संवेदक के साथ एकरारनामा को समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) पुनः राजभवन से कांटाटोली चौक भाया सर्कुलर रोड मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा DPR का निर्माण कराया जा रहा है, अतः उक्त मार्ग का प्रशासनिक नियंत्रण वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पास रखा जायेगा तथा इसका रख रखाव पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा।

iv. **पथ संख्या 4**

(क) राजभवन से बूटी मोड़ भाया बरियातु रोड पथ के उन्नयन योजना को बन्द करने तथा संवेदक के साथ एकरारनामा को समाप्त करने एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रण, रख रखाव तथा भविष्य के निर्माण कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड को लौटाने की कार्रवाई की जायेगी।

v. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राँची शहर के प्रमुख चौक-चैराहों पर सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था हेतु इनके वैज्ञानिक तरीके से सुदृढीकरण की योजना तैयार की जा रही है। इस क्रम में उक्त पथों पर अवस्थित चौक-चैराहों का सुदृढीकरण कार्य का अधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन ही रखा जायेगा।

11. उक्त परियोजनाओं के एकरारनामा को Terminate करने के उपरान्त एकरारनामा के सुसंगत धाराओं के तहत संवेदक के द्वारा किए गए कार्य की अंतिम मापी के उपरान्त संवेदक तथा PMC को अंतिम भुगतनेय राशि निर्धारित किया जायेगा।

12. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.10.2020 को आयोजित बैठक में मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव।

-----